


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

रामचन्द्र बनाम सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक शाहपुरा व अन्य

प्रकरण संख्या : 561/2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार श्री संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस. को प्रदत्त था। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक शाहपुरा के पद पर नियमित पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जा चुका है।</p> <p>वकील प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 125/2013 व नया प्रकरण संख्या 223/2013 ब- उनवानी रामनिवास बनाम रामचन्द्र व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है, फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर </p>	